



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 10,118

दिनांक: 16/02/2023

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 1159 दिनांक 13.04.2022 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक का नाम	योजना का नाम	लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु आवंटित राशि (लाखों में)
2406-01-101-07-00-21	अजमेर	उप वन संरक्षक, टोक	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	0.23
		उप वन संरक्षक, अजमेर		0.26
			योग:-	0.49
2406-01-101-19-00-21	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार योजना	4.05
			योग:-	4.05
2406-01-789-05-00-21	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार योजना	1.17
			योग:-	1.17
4406-01-800-01-00-63	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	फार्म वन विधा	0.09
		उप वन संरक्षक, टोक		1.70
			योग:-	1.79
2406-01-101-07-00-21	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण	0.46
			योग:-	0.46

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुवसं/ 10,119-25

दिनांक: 16/02/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हत प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, अजमेर/टोक
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर